भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3562

(जिसका उत्तर सोमवार, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है।)

बैंक नोटों का वापस लिया जाना

3562. श्री डी.के. सुरेशः

एडवोकेट ए. एम. आरिफः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार/एसबीआई के पास प्रचालन/एटीएम से 2000 रुपये के बैंक नोट वापस लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने 2000 रुपये के बैंक नोट को वापस लेने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य हितधारकों से परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था और समाज पर उक्त बैंक नोटों को वापस लेने के प्रभाव का अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार का 2000 रूपए के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अधिकतर 500 रुपए और 200 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक नोट प्रचलन में हैं, इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने अपने स्थानीय मुख्यालयों को उक्त मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों के अनुसार स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) को पुनः नया स्वरूप देने के लिए सूचना जारी की है। तथापि, अभी भी कई एटीएम में 2,000 रुपए के करेंसी नोट वितरित हो रहे हैं।

(ग) से (ङ): उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

******